

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री रामकरन मीना तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 53/2018 ता0 रजु. 06.02.18 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 20.03.18

सरकार

बनाम

प्रेमसिंह, हरनसिंह कपूर सिंह पुत्रान समन्दर व मैदा पुत्र भौरया मीना नि0 पीपरी तह0 बयाना
जिला भरतपुर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का मिलकपुर ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम पीपरी के खसरा न0 636 रकवा 0.13 हैक्ट में से रकवा 0.01 हैक्ट किस्म भूमि गै0मु0 रास्ता पर सम्बत 2074 में श्री प्रेमसिंह, हरनसिंह कपूर सिंह पुत्रान समन्दर व मैदा पुत्र भौरया मीना नि0 पीपरी तहसील बयाना ने पत्थर गिट्टी डालकर कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी/अप्रार्थियों को न्यायालय हाजा से बार बार आवाज लगाई, बाबजूद नोटिस प्राप्ति अप्रार्थी/अप्रार्थीगण न्यायालय हाजा में पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं आया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिवायचक/चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 636 रकवा 0.01 हैक्ट वाके ग्राम पीपरी से बेदखल किया जाता है। लगान 0.16 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 8 से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/अवैध निर्माण ध्वस्त कर बेदखली बाबत् हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)